

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)
मिशल संख्या:- 140/2024

निर्णय दिनांक :- 25.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. कमल पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0
2. किशन लाल पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0
3. जगमोहन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0
4. प्रहलाद पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0
5. फूला देवी पत्नी चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला टोक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री रामलाल कटारिया
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 1394 रकबा 0.4100 है0 व खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है वर्तमान में उक्त आराजीयात खाली पडी है। अभी वर्तमान में आस पास के पडोसी खातेदार जब भी प्रार्थीगण काश्त करने जाते है तो प्रार्थीगण से खेतो की मेडो को लेकर झगडा फसाद करते है। उक्त खेतो के सीमा चिन्ह पर मेड/डोल को नष्ट कर दिया है। इसलिए आए दिन काश्त करने में पडोसियों के साथ झगडा होता रहता है। प्रार्थीगण के खेतों के पडोसियो ने नजायज रूप से फायदा उठाकर प्रार्थीगण की भूमि में मिलाने पर अमादा है तथा सीमाज्ञान के चिन्हो को धीरे-धीरे अपने खेत में मिलाते जा रहे है। इस कारण से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की



आराजीयात की पत्थरगढी करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीगण की आराजी के पडोसी प्रार्थीगण की भूमि को अपने खेतों में नहीं मिला सके और मौके पर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो। प्रार्थीगण जब भी अपने खेत पर जाते हैं तो उन्हें वहा पर सीमा पर चिन्ह नहीं मिलते है वर्तमान में खेत खाली है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जाती है तो आने वाले समय जब भी फसल काशत की जाती है तो कोई विवाद पैदा नहीं होगा और प्रार्थीगण मुकदमाबाजी से बच जायेंगे।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।


अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी आवेदक की खातेदारी में दर्ज व कब्जे काशत की है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारों के खसरा नम्बर 1386 से सीमा विवाद है। उक्त आराजी का कोई विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2071-74 में खाता संख्या 117 खसरा नम्बर 1394 रकबा 0.4100 है0 व खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.1300 है0 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत्



पत्रावली - इनी सि ० ० ० ०

4.5.2024

पत्थरगढी प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे, अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली